अजीत सिंह

बनाम

भारत और भारत का मुख्य चुनाव आयोग

26 सितंबर, 1989

[के. जगन्नाथ शेट्टी और ए. एम. अहमदी, जे. जे.]

चुनाव आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 1974 - मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव की नियुक्ति - मुख्य चुनाव आयुक्त पर विकल्प छोड़ दिया गया-क्या 1979 के नियमों में संशोधन के बाद U.P.S.C के साथ वैध और कानूनी परामर्श आवश्यक नहीं है।

अपीलार्थी 26 जुलाई, 1977 तक उप चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे। चुनाव अधिकारी, जो उनके अधीन काम कर रहे थे, ने अपना प्रभार छोड़ दिया।

तिलक राज, जो मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे, को अवर सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया। अपनी पदोन्नति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए, प्रत्यर्थी संख्या 2 एम. एल. सारद को 1 सितंबर, 1979 को उक्त पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने शिकायत की कि उक्त नियुक्ति चुनाव आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) नियमों के विपरीत थी, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था। इसके बाद, अपीलार्थी ने उक्त एम. एल. सारद को निजी सचिव के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान आयोग ने न्यायालय को उचित सूचना देते हुए 1974 के नियमों में संशोधन किया

जिसके परिणामस्वरूप मुख्य चुनाव आयुक्त के पी. एस. पद से संबंधित क्रम संख्या 9 में प्रविष्टि को हटा दिया गया था। अपीलार्थी को आयोग द्वारा सूचित किया गया कि उसने 26 अक्टूबर, 1979 का ज्ञापन वापस ले लिया था जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी विचाराधीन पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं था। न्यायालय ने संशोधन का उचित संज्ञान लिया लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि रिट याचिका बच गई क्योंकि अपीलार्थी को 01-09-1979 से पद पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया था।

अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि (i) नियमों के संशोधन में समाप्त होने वाली पूरी कवायद दुर्भावनापूर्ण थी; (ii) संशोधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी भी व्यक्ति को अपने निजी सचिव के रूप में नियुक्त करने के लिए मनमाना और निरंकुश शक्ति प्रदान की; (iii) कि यदि अपीलार्थी को 1.9.79 पर पद पर नियुक्त किया गया था, तो नियमों का बाद का संशोधन प्रभावी नहीं होता। पूर्वव्यापी रूप से अपने नुकसान के लिए और वह जारी रखता।

उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 1979 के नियम न तो दुर्भावनापूर्ण थे और न ही वे मनमाने थे और क्योंकि ज्ञापन 26.10.79 वापस ले लिया गया था, अपीलार्थी 1.9.79 से उक्त पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार था। तदनुसार उच्च न्यायालय ने द्वितीय श्रेणी की विभागीय पदोन्नति समिति को 1.9.79 से प्रश्नगत पद के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। इसने आगे आदेश दिया कि यदि अपीलार्थी को उक्त पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, उनकी नियुक्ति 14 दिसंबर, 1979 तक तदर्थ आधार पर की गई मानी जाएगी, जिसके बाद 1979 के नियम लागू हुए। अपीलार्थी को मौद्रिक लाभ का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था।

अपीलार्थी उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट होने के कारण रेड लेटर्स पेटेंट अपील को वरीयता देता है। जिसे 24.7.80 पर संक्षेप में खारिज कर दिया गया था। इसलिए, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद इस न्यायालय में अपील की है।

अपील को खारिज करते हुए, यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त में चुनाव का संचालन, नियंत्रण और अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बुनियादी अभिधारणाएँ हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना मुख्य चुनाव आयुक्त का कर्तव्य है। इससे मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संवेदनशील हो जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कई मामलों से निपटना पड़ता है जो राजनीतिक दलों के साथ-साथ सरकार द्वारा उनके सामने लाए जाते हैं। उनके कार्यालय को पत्राचार को संभालने के लिए कहा जाता है जिसके लिए उच्च स्तर की गोपनीयता की आवश्यकता होती है। स्वाभाविक रूप से उन्हें ऐसी गुप्त और गोपनीय फाइलों और पत्राचार को संभालने के लिए अपने निजी सचिव की सेवाओं की आवश्यकता होगी। ईमानदारी और विनम्रता उक्त पद के लिए बुनियादी पहचान हैं। इसके अलावा, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को पूर्ण विश्वास हो। यही कारण है कि इस पद का कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाता है। यही स्पष्ट कारण है कि पूर्ववर्ती द्वारा चुना गया व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी के समान आत्मविश्वास का आनंद नहीं ले रहा होता है। हो सकता है कि वह अपने सचिवीय कार्य में भाग लेने के लिए अपने आत्मविश्वास वाले व्यक्ति को रखना चाहे। इसलिए, यह बिना किसी कारण के नहीं है कि प्राथमिक सचिव के पद के लिए कर्मियों का चुनाव स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त पर छोड़ दिया जाता है। [255 ई-जी]

चूंकि 1979 के नियमों द्वारा संशोधन की शुरूआत के बाद U.P.S.C. के साथ परामर्श आवश्यक नहीं था, मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने विश्वास के व्यक्ति को निजी सचिव के रूप में चुनने का अधिकार था। इसलिए, पद के लिए प्रतिवादी संख्या 2 की पसंद पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। [256 सी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2653/1980

1980 की एल. पी. ए. सं. 113 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 24-07-1980 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए वी. एम. तारकुंडे, ए. बी. लाल और वी. एन. गणपुले।

उत्तरदाताओं के लिए टी. एस. के. अय्यर और सुश्री ए. सुभाशिनी।

न्यायालय का निर्णय अहमदी, जे. द्वारा दिया गया था।

अपीलार्थी अजीत सिंह को 2 फरवरी, 1953 को ग्रेड II आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें 1 अप्रैल, 1970 से वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था। 4 जनवरी, 1974 को उन्हें उप चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसमें उन्होंने 26 जुलाई, 1977 तक काम किया, जब उप चुनाव आयुक्त, जिनके अधीन वे काम कर रहे थे, ने पद का प्रभार छोड़ दिया।

पहला उत्तरदाता मुख्य चुनाव आयुक्त है। तिलक राज पहले प्रतिवादी के निजी सचिव थे। उक्त तिलक राज को अवर सचिव के रूप में पदोन्नत किए जाने पर, मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव का पद खाली हो गया और इसे तुरंत नहीं भरा गया। हालाँकि, 23 अक्टूबर, 1979 के एक आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 एम. एल. सारद को उसी पद पर डब्ल्यू. ई. एफ. 1 सितंबर, 1979 को नियुक्त किया गया था। उक्त पद पर प्रत्यर्थी संख्या 2 की नियुक्ति के बारे में जानने पर अपीलार्थी ने शिकायत की कि उक्त नियुक्ति चुनाव आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) नियम, 1974 (इसके बाद इसे '1974

नियम' कहा जाता है)- के विपरीत थी। अपीलार्थी के प्रतिनिधि की नाराजगी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह विचाराधीन पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था।

इसके बाद अपीलार्थी ने 23 अक्टूबर की अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में 1979 की सिविल रिट याचिका संख्या 1583 दायर की, जिसके द्वारा 1979 में एम. एल. सारद को मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के रूप में 1 सितंबर, 1979 से नियुक्त किया गया और इसके साथ-साथ 26 अक्टूबर, 1979 के ज्ञापन में उन्हें सूचित किया गया कि वे सहायक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र थे। इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान न्यायालय को यह बताया गया था कि आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के संबंध में 1974 के नियमों में उपयुक्त बदलाव करने का प्रस्ताव रखा था। 1974 के नियमों में संशोधन के लिए न्यायालय की अनुमति मांगी गई थी। यह भी पता चला कि आयोग ने 23 अक्टूबर, 1979 के एम. एल. सारद को मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करने के आदेश को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। न्यायालय ने आयोग को 1974 के नियमों में संशोधन करने की अनुमति दे दी। 3 दिसंबर, 1979 की अधिसूचना द्वारा 23 अक्टूबर, 1979 की पूर्व अधिसूचना द्वारा एम. एल. सारद को मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यवाहक निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 1974 के नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा 10 दिसंबर, 1979 की अधिसूचना द्वारा संशोधित थे। उक्त संशोधन द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 9 में प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया गया। उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा 21 दिसंबर, 1979 के एक आवेदन द्वारा न्यायालय के ध्यान में इन दो परिवर्तनों को लाया गया। इसके बाद, अपीलार्थी ने अपनी रिट याचिका के ज्ञापन में संशोधन करने के लिए अनुमति मांगी।

आयोग ने अपीलार्थी को 17 जनवरी, 1980 के संचार द्वारा यह भी सूचित किया कि उसने 26 अक्टूबर, 1979 के अपने पहले के ज्ञापन को वापस ले लिया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं था। न्यायालय ने इन तथ्यों पर ध्यान दिया लेकिन सोचा कि रिट याचिका अभी भी शेष रही है, क्योंकि उसमें अपीलार्थी को 1 सितंबर, 1979 से इस पद पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया था। इसके अलावा अपीलार्थी ने चुनाव आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन नियम, 1979 (इसके बाद '1979 नियम' से संबोधित) को भी चुनौती दी, जिसके द्वारा क्रम संख्या 9 पर प्रविष्टि को हटा दिया गया। अपीलार्थी का तर्क था कि पूरी कवायद का समापन 1974 का संशोधन दुर्भावनापूर्ण था और उसे उक्त पद पर नियुक्ति से वंचित करने के एकमात्र उद्देश्य से किया गया था। यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1979 के नियम लागू होने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 को 27 फरवरी, 1980 की अधिसूचना द्वारा उसी पद पर फिर से नियुक्त किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि 1979 के नियमों का प्रभाव मुख्य चुनाव आयुक्त को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को विचाराधीन पद पर नियुक्त करने का पूर्ण विवेकाधिकार प्रदान करने का था। इसे अलग तरह से रखने के लिए अपीलार्थी ने तर्क दिया कि संशोधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी योग्यता की परवाह किए बिना किसी भी व्यक्ति को अपना निजी सचिव नियुक्त करने के लिए मनमाना और निरंकुश शक्ति प्रदान की है। अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष आगे यह तर्क दिया गया कि यदि अपीलार्थी को 1 सितंबर, 1979 को विचाराधीन पद पर नियुक्त किया गया होता नियमों में बाद के संशोधन से उसके नुकसान के लिए पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं किया होता और वे संशोधन के बाद भी प्रधान सचिव के रूप में बने रहते।

उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे

कि 1979 के नियम दुर्भावनापूर्ण नहीं थे और न ही वे मनमाने थे जैसा कि अपीलार्थी ने आरोप लगाया था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा कि 26 अक्टूबर, 1979 के ज्ञापन को वापस लेने के बाद से अपीलार्थी 1 सितंबर, 1979 से निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने द्वितीय श्रेणी की विभागीय पदोन्नति समिति को 1 सितंबर, 1979 से मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया। इसने आदेश दिया कि यदि अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो उसकी नियुक्ति को ऐसा माना जाएगा कि 1 सितंबर, 1979 से 14 दिसंबर, 1979 तक तदर्थ आधार पर बनाया गया था, जिसके बाद 1979 के नियम लागू हुए। इस तरह की नियुक्ति पर अपीलार्थी के कारण मौद्रिक लाभ गणना की और भुगतान का आदेश दिया गया था। इस आदेश से व्यथित अपीलार्थी ने उसी उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 1980 की एल. पी. ए. संख्या 113 की अपील की। इस लेटर्स पेटेंट अपील को 24 जुलाई, 1980 को संक्षेप में खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति प्राप्त की।

अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री तारकुंडे ने वही दलीलें दोहरायी, जिन्हें उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और कहा गया था कि यदि अपीलार्थी को 1 सितंबर, 1979 से नियुक्त किया जाता, तो नियमों का बाद का संशोधन उनके रास्ते में नहीं आता और वह उक्त नियमों के संशोधन के बाद भी मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के रूप में बने रहते। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी की नियुक्ति के संबंध में राहत को 14 दिसंबर, 1979 तक यानी 1979 के नियम लागू होने तक सीमित करने में सही नहीं था। इस

स्तर पर यह इंगित किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वर्ग II विभागीय पदोन्नति आयोग को निर्देश दिया गया है। निजी सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए अपीलार्थी के मामले पर विचार करने के लिए समिति की बैठक 1 सितंबर, 1979 को हुई। 9 मई, 1980 को और सभी पात्र व्यक्तियों के 1 सितंबर, 1979 से संबंधित पद पर नियुक्ति के मामले पर विचार किया गया । विभागीय पदोन्नति समिति को उक्त पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त कोई नहीं मिला। इस संबंध में 14 मई, 1980 के ज्ञापन द्वारा अपीलार्थी को सूचना दी गई थी। विभागीय पदोन्नति समिति का निर्णय इस तर्क पर विराम लगाता है कि अपीलार्थी निजी सचिव के रूप में बना रहता यदि उसे 1 सितंबर, 1979 से उक्त पद पर नियुक्त किया जाता।

अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री तारकुंडे ने ठीक ही किया कि हमारे समक्ष गंभीरता से यह तर्क नहीं दिया गया कि 1979 के नियम दुर्भावनापूर्ण थे और केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के रूप में अपीलार्थी की नियुक्ति से इनकार करने के उद्देश्य से बनाए गए थे। यह महसूस किया जाना चाहिए कि नियमों में संशोधन के प्रस्ताव के जवाब में विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से 5 दिसंबर, 1974 को आयोग को लिखा थाः

"मुख्य चुनाव आयोग के निजी सचिव का पद मिशनरी मुख्य निर्वाचक के निजी कर्मचारियों पर होता है। राज्य आयुक्त और उनकी नियुक्ति इसके बाहर है। U.P.S.C का दायरा. अनुसूची की प्रविष्टि 5 के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग (संघ से छूट) गुलशन) विनियम 1958। एक व्यक्ति की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा ऐसा किया जा सकता है। संघ के परामर्श के बिना अपने विवेक पर लोक सेवा आयोग। के पद पर नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव हैं - मुख्य चुनाव की नियुक्ति के साथ भी सह-समाप्ति कमिश्नर। इस स्थिति को देखते हुए, विभाग कार्मिक और प्रशासनिक सुधारों ने सलाह दी है कि निजी सचिव के पद के लिए भर्ती नियम मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए

जाने की आवश्यकता नहीं है। द. आयोग द्वारा प्रस्तावित पद के लिए नियम हैं - इसलिए उन्हें सूचित नहीं किया गया।"

1974 के नियमों में संशोधन के बाद आयोग ने 18 फरवरी, 1980 को एक कार्यालय आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि निजी सचिव के पद पर नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त के पूर्ण विवेक से आयोग में या बाहर से सेवारत उपयुक्त वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों में से की जाएगी, जो वह उचित समझे। 'मुख्य चुनाव आयुक्त के पूर्ण विवेकाधिकार में' शब्दों का अर्थ वकील द्वारा यह समझा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके निजी सचिव की पसंद के मामले में मनमाना और निरंकुश शक्ति प्रदान की गई थी। कार्यालय के आदेश में आगे कहा गया है कि उक्त पद पर पदधारी की नियुक्ति 'मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर सत्ता के साथ समाप्त होगी'। यह आदेश दर्शाता है कि 1974 के नियम संशोधन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के पद के लिए कर्मियों के चयन के संबंध में मामला मुख्य चुनाव आयुक्त के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया गया था।

उपरोक्त घटनाक्रमों से यह प्रतीत होगा कि संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन जुलाई 1970 में वापस ले लिया गया था। विधि मंत्रालय द्वारा 5 दिसंबर, 1974 की विज्ञप्ति द्वारा दी गई सलाह को अंततः आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 19 मार्च, 1975 के पत्र तक विधि मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद में सत्ता परिवर्तन के समय आयोग के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यही कारण था कि 1974 के नियमों में संशोधन की प्रक्रिया में दिसंबर 1979 तक की देरी हुई। इसलिए, हर भौतिक समय पर मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए इच्छुक व्यक्ति का भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव से कोई लेना-देना नहीं था। इसलिए, यह तर्क देना असंभव था कि प्रतिवादी संख्या 1 की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी और मुख्य चुनाव

आयुक्त के निजी सचिव के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नति से इनकार करने की एकमात्र इच्छा से प्रेरित थी।

आपत्तियों के अगले अंग पर आते हुए यह महसूस किया जाना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 324 मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धांत हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना मुख्य चुनाव आयुक्त का कर्तव्य है। इससे मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संवेदनशील हो जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कई मामलों से निपटना पड़ता है जिन्हें राजनीतिक दलों के साथ-साथ सरकार द्वारा भी उनके सामने लाया जाता है। उनके कार्यालय को पत्राचार को संभालने के लिए कहा जाता है जिसके लिए उच्च स्तर की गोपनीयता की आवश्यकता होती है। इस तरह की अत्यधिक गुप्त और गोपनीय फाइलों और पत्राचार को संभालने के लिए उन्हें स्वाभाविक रूप से अपने निजी सचिव की सेवाओं की आवश्यकता होगी। इसलिए, यह अनिवार्य है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के निजी सचिव के रूप में काम करने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसमें अंतर्निहित विश्वास और विश्वास रखा जा सके। सचिवीय कार्य में विशिष्ट तम्बू होने के अलावा, वह त्रुटिहीन चरित्र और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होना चाहिए। ईमानदारी और योग्यता, पद के लिए बुनियादी हॉलमार्क है। इसके अलावा, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को पूर्ण विश्वास और विश्वास हो। यही कारण है कि इस पद का कार्यकाल मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाता है। यही स्पष्ट कारण है कि पूर्ववर्ती द्वारा चुना गया व्यक्ति उसके उत्तराधिकारी के समान स्तर विश्वसनीय नहीं हो। हो सकता है कि वह अपने सचिवीय कार्य में भाग लेने के लिए अपने स्वयं विश्वास वाले व्यक्ति को रखना चाहे। इसके अलावा, यह बिना किसी कारण के नहीं है कि निजी सचिव के पद के लिए कर्मियों का चुनाव मुख्य चुनाव

आयुक्त पर ही छोड़ दिया जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। इसी तरह का प्रावधान कुछ अन्य कार्यों के लिए किया गया है जैसा कि गृह विभाग की 1 सितंबर, 1958 की अधिसूचना से देखा जा सकता है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है। इसलिए, हमारी राय है कि पद की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कर्मियों की पसंद के मामले को मुख्य चुनाव आयुक्त के पूर्ण विवेक पर छोड़ना अनिवार्य था। हम, सबसे पहले, यह नहीं सोचते कि 18 फरवरी, 1980 के कार्यालय आदेश को निरस्त किया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय राहत को 14 दिसंबर, 1979 तक यानी 1974 के नियम प्रभावी होने तक सीमित करने में सही थी। चूंकि 1979 के नियमों द्वारा पेश किए गए संशोधन के बाद UPSC के साथ परामर्श आवश्यक नहीं था, इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त को निजी सचिव के रूप में अपने विश्वास के व्यक्ति को चुनने का अधिकार था। इसलिए इस पद के लिए उत्तरदाता संख्या 2 के चयन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम तर्कों में कोई योग्यता नहीं देखते हैं, जो अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष आग्रह किया गया। हम, इस अपील को खारिज करते हैं लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

वाई. लाल

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।